

हाईब्रीड लोक अदालत (Virtual/Physical Mode)

न्यायालय: श्रीमती छाया सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरियाबंद, जिला-गरियाबंद (छ.ग.)

राज्य द्वारा

राज्य/परिवादी

// विरुद्ध //

1. वेदराम त्यागी पिता महेश त्यागी

अभियुक्त/अभियुक्तगण

धारा 320 (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपराध के शमन की अनुमति हेतु आवेदन

उपर्युक्त परिवादी निम्नानुसार आवेदन करता है कि :-

1/ यह कि इस प्रकरण के अभियुक्त/अभियुक्तगण से अपने संबंध मधुर बनाये रखने के लिए इस दाण्डिक प्रकरण में अपराध का शमन करना चाहता है।

2/ आज लोक अदालत के सुलहकर्ताओं ने उभय पक्षकारों को सुनकर दोनों पक्षों के बीच भविष्य में अच्छे संबंध पुनः स्थापित किये जाने हेतु अपराध का शमन करने की सलाह दी है, जिससे उभय पक्षकार सहमत हो चुके हैं। बिना किसी दबाव के पक्षकारों के बीच कोई द्वेष या मनमुटाव नहीं रह गया है।

3/ यह कि हम पक्षकारगण विशेष हाई ब्रीड लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा किये जाने हेतु सहमत हैं।

चूंकि अपराधों में न्यायालय की अनुमति बिना अपराध का शमन नहीं हो सकता है। अतः प्रार्थना है कि उपर्युक्त परिस्थितियों में इस दाण्डिक प्रकरण में अपराध के शमन की अनुमति पक्षकारों को प्रदान की जावे।

// अवार्ड //

(राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 16.12.2023 खण्डपीठ कमांक 02 द्वारा पारित अवार्ड)

यह प्रकरण दिनांक 13.12.2023 को अभियुक्तगण/अभियुक्त के विरुद्ध आरक्षी केन्द्र छुरा द्वारा अपराध कमांक 185/2023 धारा 294,506 भा0द0वि0 के तहत प्रस्तुत किया गया है, उक्त प्रकरण के अंतर्गत प्रार्थी/प्रार्थीगण टंकेश्वर गिरी एवं अभियुक्तगण/अभियुक्त के मध्य स्वेच्छया बिना किसी भय, धमकी, दबाव, उत्प्रेरणा व भय के राजीनामा हो गया है, तथा दोनों के मध्य मधुर संबंध स्थापित हो गये हैं। जो भविष्य में भी स्थापित रहेंगे। संबंधित प्रकरण द0प्र0सं0 प्रावधानों के अनुरूप शमनीय अपराध है, अतः उभय पक्षों को राजीनामा की अनुमति प्रदान करते हुए यह प्रकरण समाप्त घोषित किया जाता है तथा अभियुक्तगण/अभियुक्त को उन्मोचित/दोषमुक्त किया जाता है। सम्पत्ति का नियमानुसार निराकरण किया जावे।

हस्ताक्षर सदस्यगण :-

हस्ताक्षर सही/अस्पष्ट

सदस्य कमांक-1 श्री विजय सिन्हा

हस्ताक्षर सही/अस्पष्ट

सदस्य कमांक 2 श्री हरीश कुमार साहू

हस्ताक्षर-

सही/अस्पष्ट

(श्रीमती छाया सिंह)

पीठासीन अधिकारी

खण्डपीठ कमांक 02

गरियाबंद छ0ग0